

डिक्री व मुकदमे की इब्ताजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : अंश दीप रल्ह, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 98/2012

उनवान मुकदमा

श्री नुरिया पिता श्री नाथु जाति भील निवासी डेटकिया छोटी, तहसील व जिला बांसवाडा।

—वादीगण

बनाम

1. श्री रमेश पिता श्री वागजी जाति भील निवासी डेटकिया छोटी, तहसील व जिला बांसवाडा।
2. श्री प्रभु श्री वागजी जाति भील निवासी डेटकिया छोटी, तहसील व जिला बांसवाडा।
3. श्री कान्तु श्री वागजी जाति भील निवासी डेटकिया छोटी, तहसील व जिला बांसवाडा।
4. श्रीमती हुडी बेवा श्री वागजी जाति भील निवासी डेटकिया छोटी, तहसील व जिला बांसवाडा।
5. भूमिधारी जरिए तहसीलदार बांसवाडा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : ०२/०६/२०१६

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे तहसीलदार आंबापुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। मौजा डेटकीया छोटा पटवार मण्डल बरवाला राजीया तहसील आंबापुरा की खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 1/96/27 रकबा 5.05 बीघा, लगान 1.31 रू०, रमेश, प्रभु, कान्ति पिता वागजी, हुडी पत्नी स्व. वागजी भील, खसरा नम्बर 2/96/27 रकबा 5.04 बीघा, लगान 1.30 रू०, नुरिया पिता नाथु भील का खाता एवं लगान अलग-अलग कायम किये जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार आंबापुरा मुताबिक डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करना सूनश्चित करे।


नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत

माना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक ०२-०६-२०१६ को जारी की गई।

आउडर
(अ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शुन्य	स्टाम्प वकालतनामा	शुन्य
स्टाम्प वकालतनामा	शुन्य	स्टाम्प अरजी	शुन्य
स्टाम्प वहज सबुत	शुन्य	मेहनतनामा वकील	शुन्य
मेहनतनामा वकील	शुन्य	खर्चा गवाहान	शुन्य
खर्चा गवाहान	शुन्य	फीस कमिश्नर	शुन्य
फीस कमिश्नर	शुन्य	बबत इजराय हुकमनामा	शुन्य
बबत इजराय हुकमनाम	शुन्य	मुतफरीक	शुन्य
मुतफरीक	शुन्य		शुन्य
कुल	शुन्य	कुल	शुन्य


 उप (अंश) अधीकारि
 उप (अंश) अधीकारि
 बांसवाडा